समाहरणालय, पटना।
(जिला स्थापना शाखा)

फोन न0 0612-2219545(का0)
फैक्स नं0-0612-2218900
E-mail-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-702/स्था0 दिनांक 20.02.2014 द्वारा तत्काल सेवा के तहत् अंचल कार्यालय, दनियावां में पदस्थापित कार्यपालक सहायक की सेवा पटना समाहरणालय, पटना में वापस लिये जाने के कारण उक्त रिक्त पद पर जिला में तैयार पैनल से दिनांक 01.02.2014 को आयोजित काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये सहमति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है, जो निम्नवत् है :—

क्र0	नाम/पदनाम	पता	आरक्षण कोटि	रोस्टर बिन्दु	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री राहुल कुमार कार्यपालक सहायक मो0-8409567633	पिता-श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम-फुलवरिया, पो0-बैकठपुर, जिला-पटना	अनारक्षित	अनारक्षित	अंचल कार्यालय, दनियावां

(i) इनका चयन प्रथम चरण में 01 (एक) वर्ष के लिए होगा।

(ii) कार्यपालक सहायक को कार्य करने हेतु अपने साथ अपने स्वयं के खर्च पर निम्नांकित उपकरण रखना होगा।
(क) एक डेस्क टॉप कम्प्यूटर
(ख) एक लेजर प्रिन्टर (Black & White)
(ग) एक यू0पी0एस0
(घ) इन्टरनेट कनेक्शन

(iii) कार्यपालक सहायक को नियमित मासिक राशि 9,000.00 (नौ हजार) रूपये का भुगतान संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नही होगी। उसमें मात्र लगनेवाला पेपर, प्रिन्टर कार्टिज आदि (Consumbables) की आपूर्त्ति पर होने वाले मासिक व्यय की प्रतिपूर्त्ति कार्यालय व्यय से संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा की जाएगी।

चयनित कार्यपालक सहायक को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के साथ निश्चित रूप से अपना योगदान संबंधित कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने पर आपका दावा समाप्त समझा जाएगा। वित्तीय लाभ योगदान की तिथि से देय होगा।

(i) इन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश देय होगा।

(ii) वे अपने संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सौंपे गये कार्यों एवं निदेशों का ससमय अच्छे ढ़ंग से निष्पादन/अनुपालन करेंगे। कार्यो में लापरवाही/संपादित कार्य के असंतोषजनक पाये जाने पर बिना नोटिस इन्हें नियोजन से हटाने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

(iii) संविदा पर उपरोक्त प्रकार से नियोजित अभ्यर्थी का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियोजन की उपरोक्त शर्तों को मानने संबंधी एकरारनामा प्रस्तुत करने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

ह०/-

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक–XXIX-04/14-1233/ स्था0, पटना, दिनांक–24/05/14

प्रतिलिपि :– संबंधित चयनित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, दनियावां को उनके पत्रांक–329 दिनांक 06.05.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई0 टी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से सभी संबंधित कार्यपालक सहायकों को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी,
पटना।